नम्बर व ता० अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–88 / 18

1 राजेन्द्र पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता
2 कल्लूप्रसाद पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता
3 प्रियंका कुमारी पुत्री गोबरीलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता

(वादीगण)

बनाम

1 गोबरीलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता
2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां राजस्थान

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– श्री अक्षयराज सिंह (वादी)
श्री मंजूर हसन खां (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 14.08.2019

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में खाता स. 41 में खं. नं. 519 रकबा 2.21 हे., खं.नं. 523 रकबा 1.60 हे., खं. नं. 525 / 630 रकबा 0.61 हे., किता 3 रकबा 4.42 हे. भूमि स्थित है। उक्त आराजियात को इस वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। उक्त आराजियात पुश्तैनी है उक्म भूमि वादी को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में वादिगण का हक अधिकार जन्मतः निहित है।
यह कि पक्षकारों का सजरा निम्न प्रकार है :–

गोबरीलाल

राजेन्द्र — पुत्र
कल्लू प्रसाद — पुत्री
पियंका कुमारी — पुत्री

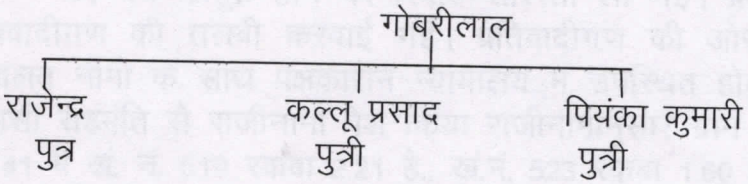

उक्त विवादित आराजिया तमे वादीगण का हिस्सा 1 / 4–1 / 4–1 / 4 अर्थात 3 / 4 भूमि नियत है। जिस पर वादिगण अपने अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है एवं शेष आराजी प्रतिवादी कम 1 के 1 / 4 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादि कम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाते दर्ज होने से प्रतिवादी कम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाते होने से प्रतिवादी कम1 भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान, करने पर आमादा है तथा शामलाती खाते दर्ज होने से वादीगण

उक्त विवादित आराजिया तमे से अपना हिस्सा 1/4–1/4–1/4 हिस्से की भूमि के बतोर खातेदार घोषित किया जावें । वादिगण के पक्ष में प्रतिवादिगण के खिलाफ इस आशय कि निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादिगण कि उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 किसी प्रकार की दखलांदाजी नहीं करें प्रतिवादिगण वादीगण को किसी भी प्रकार से बेदखल नही करें , रहन , बेचान नहीं करें, खुर्द बुर्द नही करें, वादिगण को शांतिपूर्वक रहने देंवें वादिगण की काश्त व्यवस्था में प्रतिवादिगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादिगण जारी फरमायी जावें। वाद कारण दिनांक 12.07.2018 को प्रतिवादी कम 1 उक्त भूमि को अन्यत्र रहन, बेचान करने की बातचीत अन्यत्र व्यक्तियों से करने लगा तो वादिगण को इसकी जानकारी होने पर वादिगण ने प्रतिवादी कम 1 से उक्त भूमि अपने नाम खाते दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादिगण साफ इन्कार हो गये, जिस कारण वाद बामुकाम ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ है। वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां के धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किये बगैर यह वादपत्र माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है। वाद पत्र को सूनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मय पेश है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत है कि वादिगण के पक्ष में प्रतिवादिगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में यह कि ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में खाता स. 41 में खं. नं. 519 रकबा 2.21 हे., खं.नं. 523 रकबा 1.60 हे., खं. नं. 525/630 रकबा 0.61 हे., किता 3 रकबा 4.42 हे. भूमि प्रतिवादि कम 1 को विरासत में प्राप्त होने से तथा पुश्तैनी होने से वादिगण का जन्मतः हक अधिकार व उत्तराधिकार वारिस होने से वादीगण को हिस्सा हिस्सा 1/4–1/4–1/4 हिस्से की भूमि के बतोर सहखातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादि कम 2 को आदेशित किया जावें कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावें। उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादिगण किसी प्रकार की दखलांदाजी नहीं करें प्रतिवादिगण वादीगण को किसी प्रकार से बेदखल नहीं करें, रहन, बेचान, नहीं करें, खुर्द बुर्द नही करें, वादिगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देंवें, वादिगण की काश्त व्यवस्था में प्रतिवादिगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें, इस प्रकार की निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादिगण जारी फरमायी जावें। अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रतिवादिगण से दिलायी जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री मन्जूर हसन खॉ द्वारा वकालत नामा के साथ पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया राजीनामानुसार ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में खाता स. 41 में खं. नं. 519 रकबा 2.21 हे., खं.नं. 523 रकबा 1.60 हे., खं. नं. 525/630 रकबा 0.61 हे., किता 3 रकबा 4.42 हे. भूमि स्थित है उक्त आराजी पैतृक सम्पति है । जो प्रतिवादी कम 1 को अपने पिता प्रभुलाल से विरासत में प्राप्त हुई है। जिसका एक वाद माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है। जिसके निर्णय डिक्री हेतु हम पक्षकारों ने आपसी सहमति से यह राजीनामा कर लिया है जो माननीय न्यायालय में पेश कर रहें है। वादिगण एवं प्रतिवादी कम 1 ने लोक अदालत की भावना से उक्त विवादग्रस्त आराजियात का आपसी समझौते के अनुसार राजीनामा कर लिया है जो वादिगण एवं प्रतिवादी कम 1 उक्त भूमि में हिस्सा 1/4–1/4–1/4 भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहें है परन्तु वादीगण का नाम सम्पूर्ण आराजी के राजस्व

रिकार्ड मे नाम दर्ज नही होने से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी होती है। इसीलिए वादिगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित भूमि वादीगण के हिस्सा 1/4–1/4–1/4 अर्थात 3/4 भूमि को खाते दर्ज करवाये जाने हेतु हम दोनो पक्ष पूर्णतया सहमत है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादिगण को उक्त विवादित आराजी की भूमि का बतौर खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 को कोई ऐतराज नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 उक्त भूमि पर बराबर–बराबर हिस्से में काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादिगण उक्त उनवान के प्रकरण में आपसी सहमति से राजीनामा कर वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त भूमि 1/4–1/4–1/4 को खाते दर्ज किये जाने हेतु सहमत है। इसमें किसी भी पक्षकार का कोई ऐतराज नहीं है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण को बाके ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में खाता संख्या 41 में खसरा नं0 519 रकबा 2.21 है0, खसरा नं0 523 रकबा 1.60 है0 खसरा नं0 525/630 रकबा .61 है0 किता 3 रकबा 4.42 है0 भूमि का मुताबिक दावा अनुसार सहखातेदारान घोषित किया जावें।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर हमने आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया तथा पक्षकारों द्वारा राजीनामा अपने स्वंय के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान श्री अक्षयराज सिंह अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री मन्जूर हसन खॉ अधिवक्ता द्वारा की गयी। पक्षकारान सहमत होने से राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में खाता स. 41 में खं. नं. 519 रकबा 2.21 हे., खं.नं. 523 रकबा 1.60 हे., खं. नं. 525/630 रकबा 0.61 हे., किता 3 रकबा 4.42 हे. भूमि प्रतिवादि क्रम 1 को विरासत में प्राप्त होने से तथा पुश्तैनी होने से वादिगण का जन्मतः हक अधिकार व उत्तराधिकार वारिस होने से वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 को हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि का बतोर सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामानुसार अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक **14.08.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–88/18

1 राजेन्द्र पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता
2 कल्लूप्रसाद पुत्र गोबरीलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता
3 प्रियंका कुमारी पुत्री गोबरीलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता

(वादीगण)

बनाम

1 गोबरीलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ निवासी जयनगर तहसील अन्ता
2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां राजस्थान

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 14.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री अक्षयराज सिंह** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री मंजूर हसन खॉ** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जयनगर तहसील अन्ता में खाता स. 41 में खं. नं. 519 रकबा 2.21 हे., खं.नं. 523 रकबा 1.60 हे., खं. नं. 525/630 रकबा 0.61 हे., किता 3 रकबा 4.42 हे. भूमि प्रतिवादि कम 1 को विरासत में प्राप्त होने से तथा पुश्तैनी होने से वादिगण का जन्मतः हक अधिकार व उत्तराधिकार वारिस होने से वादीगण व प्रतिवादीगण कम 1 को हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि का बतोर सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामानुसार अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

मुददई	रूपया	पैसा	मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकिल			महनताना वकिल		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराई हुकतनामा			बाबत इजराई हुकतनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म एवं नकल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहै डिक्री के जरिय दिखाया गया हो या नही दजै करना चाहीय